

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, झाँसी, ललितपुर, बॉदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट,
मिर्जापुर, सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक २८ दिसम्बर, 2007

विषय :— वित्तीय वर्ष २००७-०८ में सूखे से प्रभावित जनपदों में राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक १८ दिसम्बर, २००७ को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्ष २००७-०८ में सूखा प्रभावित उपर्युक्त जनपदों में दैवी आपदा राहत कार्यों एवं तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य कार्यों हेतु प्रत्येक जनपद को रु० ५,००,००,०००/- (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा टी०आर० -२७ से आहरित की जायेगी, जिसके समायोजन की कार्यवाही सचिव एवं राहत आयुक्त को प्रस्ताव भेजते हुये सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस धनराशि का प्रयोग केवल दैवी आपदा एवं राहत कार्यों के निमित ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्य के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

3. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "२२४५-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत

निधि—800—अन्य व्यय —03—राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय —42—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आपदा राहत निधि की नियमावली तथा शासनादेश सं0—जी0आई0—134 / 1—11—2007—46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मदों में ही की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों एवं शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।

5. राहत राशि/राहत सामग्री का वितरण गाँव में व्यापक प्रचार प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की आगामी खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रम में यथा सम्भव जनपद के माओ प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद एवं विधायक भी सुविधानुसार शामिल हो सकें।

6. निधि से प्रदत्त राशि दैवी आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः नियमानुसार धनराशि का वितरण कराना तथा व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत हुई धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश सं0 1693 / 1—11—2005—रा0—11 दिनांक 20 जून, 2007 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की बेवसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

8. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2008 तक शासन को अवश्य सूचित कर दिया जाय।

9. कृपया व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक तीन माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

अशालकीप्रधेजी स०-६-५-२००१ (१)/५८-२००७ दिनांक २६-१२-२००१ में जात्त उनकी

10. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(उमेश सिंह)


सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या - ५४१०) ।।-१०-२००७ तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा० राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग।
6. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
7. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, जालौन, झौसी, ललितपुर, बौदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –५।
11. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ) / राजस्व अनुभाग –६ / राजस्व अनुभाग –११।
12. श्री ऋषि चोपड़ा, आई०टी० सहायक, य०एन०डी०पी० को वेबसाइट अपडेट करने हेतु।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(ओम प्रकाश)
उप सचिव